

578

11-18

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प 3(77)नविन/3/2019पार्ट -1-

जयपुर, दिनांक 26 FEB 2013

आदेश

नगरीय समरस्यक आदेश दिनांक 03.10.2011 के द्वारा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत तकनीकी प्रावधानों का निर्धारण किया गया था। एफ.आई.सी.सी.आई. के राजस्थान स्टेट कॉन्सिल द्वारा इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधानों में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का परीक्षण कर टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत पूर्व प्रसारित आदेशों को अधिक्रान्त करते हुये निम्नानुसार संशोधित कर आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

आईटम	संशोधित प्रावधान
अधिकतम विक्रय योग्य क्षेत्र	अधिकतम 70 प्रतिशत (मुख्य उपयोग के लिए 40 से 65 प्रतिशत, आवासीय 5 से 15 प्रतिशत तथा व्यावसायिक 3 प्रतिशत)
सुविधाएँ/खुला क्षेत्र/सड़कें	कुल 30 प्रतिशत (10 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल की योजनाओं में न्यूनतम सुविधा क्षेत्र 10 प्रतिशत एवं पार्क/खुला क्षेत्र 5 प्रतिशत रखा जाना अनिवार्य होगा तथा 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में सुविधा क्षेत्र 5 प्रतिशत अथवा 10000 वर्गमीटर जो भी अधिक हो व पार्क/खुला क्षेत्र 5 प्रतिशत रखा जाना अनिवार्य होगा) सड़कों का क्षेत्रफल योजनानुसार निर्धारित होगा।
सड़कों की चौड़ाई	500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिए 12 मीटर, 500 वर्गमीटर से अधिक 1500 वर्गमीटर तक 18 मीटर तथा 1500 वर्गमीटर से अधिक के लिए 24 मीटर

(गुरदयाल सिंह राणू)
अतिरिक्त मुख्य अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
 3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
 4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
 5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
 6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
 7. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
 8. सचिव, नगर विकास न्यास अलवर/अजमेर/भरतपुर/गिवाडी/भीलवाडा
/वीकानेर/आबू जिला सिसोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
 9. मुख्य महाप्रबंधक, राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर।
- गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव-प्रथम